

प्रकरण संख्या 104/2024

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
लुणी

(2024/474)

तल्लि माहिनसि ह "U" जयपाल वोरि

अन्तर्गत धारा 212 RTI Act

19.8.25.

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले अर्जाधी 2,3 का जवाब तथा 1 व 4 के समन का इन्तजार होकर दिनांक 07-10-25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लुणी

7-10-25

पत्रावली पेश हुई। अर्जाधी 2, 3 का जवाब तथा 1 व 4 के समन का इन्तजार होकर दिनांक 26-11-25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लुणी

17-12-25

पत्रावली पेश हुई। अर्जाधी तथा अर्जाधीगत के बीच लोक अदालत की भावना से व आपसी समझाइश से शर्जीनामा हो गया है। अर्जाधी अर्जाधी पर कुं आगे चलाना ही चाहते हैं। अर्जाधी का अर्जाधी पर परिपत्रको खारिज किया जाता है। पत्रावली फेशल सुमर होकर दाखिल इफ्तार हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लुणी

पट्ट्यागरी

(31)

मिस्टर